क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		13/(111) [illegible] 23/1/18	
	23/1/18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार [illegible] अनुसार दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/4/18 को पेश हो।	
	14/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली क्रमानुसार 25/4/18 को पेश हो।	
	17/5/18	पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्यायालय आपके द्वारा नेपर में प्रस्तुत हुई। मूलवाद में अन्तिम डिक्री पारित की गई है इसलिये अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज किया जाता है। पत्रावली के सम्बन्ध अनुसार बोर्ड नम्बर से कार्य हो। बाद अर्ति दायरा एक सप्ताह। उप खण्ड अधिकारी जबलारामपुर (जबलपुर)	